सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई. की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लाभार्थीन्मुख उप-घटक

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई. की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लाभार्थीन्मुख उप-घटक

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

मुद्रकः
मै. रॉयल ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए–89/1, नारायणा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–110028

डॉ राजीव रंजन आईएएस
सचिव
Dr. Rajeev Ranjan, *IAS*
Secretary

सत्यमेव जयते

मत्स्यपालन, पशुपालन, एवं डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Ministry of Fisheries,
Animal Husbandry & Dairying
Department of Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi-110 001

प्रस्तावना

प्रिय हितधारकों,

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने हाल ही में **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)** नामक एक फ्लैगशिप योजना की शुरूआत की है जिसका कुल अनुमानित निवेश 20050 करोड़ रु. है और जो उत्पादन से लेकर उपयोग की मात्स्यिकी श्रृंख्ला के साथ–साथ विविध हस्तक्षेपों की सारणी से युक्त है। पी.एम.एम.एस.वाई. हमारे देश के मात्स्यिकी क्षेत्र के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी योजना है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि पी.एम.एम.एस.वाई. में लाभार्थीन्मुख गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 12340 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की है।

उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि के लिए पी.एम.एम.एस.वाई. में मछुआरों, मछली किसानों, युवा, महिला, उद्यमियों आदि के लाभ के लिए अनेक गतिविधियां प्रस्तावित हैं। इन गतिविधियों में हैचरियां, पुनःसंचारी जलकृषि प्रणाली, बायोफ्लोक, एक्वापोनिक्स, समुद्री और जलाशय पिंजरा कृषि, क्षारीय और लवणीय क्षेत्रों में जलकृषि का विकास, सजावटी मात्स्यिकी, शैवाल खेती, शीत श्रृंख्ला, मार्किटिंग और ब्राडिंग, शहरी बाजार श्रृंख्ला मूल्य संवर्धन, स्टार्टअप, इनक्यूबेटर्स, नवोन्मेष, ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन आदि शामिल हैं। इस योजना में कलस्टर विकास, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, मात्स्यिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, हितधारकों की उच्च आय सृजन आदि की सुविधा होगी। पी.एम.एम.एस.वाई. में उद्यमशीलता के विकास और निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण का सृजन होगा।

हितधारकों के लाभ के लिए मत्स्यपालन विभाग ने लाभार्थीन्मुख गतिविधियों की एक सूची संकलित की है जिनका पी.एम.एम.एस.वाई. में समर्थन किया गया है।

अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है और इनका टोल फ्री नम्बर नीचे संकलित सूची में दिया गया है।

मुझे आशा है कि यह जानकारी सभी के लिए उपयोगी होगी।

राजीव रंजन

राजीव रंजन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लाभार्थीन्मुख उप-घटक/गतिविधियां

1. प्रस्तावना

1.1 मात्स्यिकी और जलकृषि रोजगार, खाद्य और पोषणीय सुरक्षा, विदेशी मुद्रा आय और लाखों लोगों विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या की आय में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 2.80 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों को तथा इसी मूल्य श्रृंखला में लगभग दुगने लोगों को आजीविका प्रदान करता है। मछली, पशु प्रोटीन का एक सस्ता और समृद्ध स्रोत होने के नाते भूख और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का एक स्वस्थ विकल्प है। इस क्षेत्र में मछुआरों, मछली किसानों, मछली विक्रेताओं और मत्स्यन और मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि में सहायक बनने और उनकी आय में वृद्धि करने की असीम संभावना है।

1.2 मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कार्यान्वित कर रहा है– जो ऐसी स्कीम है जिसमें मछुआरों के कल्याण सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20050 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के धारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति का आह्वान करती है। पी.एम.एम.एस.वाई. को वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक कुल पांच वर्षों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना है।

1.3 पी.एम.एम.एस.वाई. मात्स्यिकी विकास गतिविधियों के लिए मछुआरों, मछली किसानों, मत्स्य श्रमिकों, मछली विक्रेताओं, अ.जा./अनु.ज.जा./महिला/दिव्यांग व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.)/संयुक्त देयता समूहों (जे.एल.जी.), मात्स्यिकी सहकारिताओं, मात्स्यिकी संघों, उद्यमियों और निजी फर्मों, मछली किसान उत्पादक संघों/कम्पनियों (एफ.एफ.पी.ओ./सी.) आदी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

1.4 पी.एम.एम.एस.वाई. में लाभार्थीन्मुख गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतू 12340 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।

1.5 पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत समर्थित लाभार्थीन्मुख गतिविधियों में हैचरियों का विकास, ग्रो–आउट और प्रजनन तालाबों का निर्माण, जलीय जीव पालन गतिविधियों के लिए निवेश लागत, खुला समुद्री पिंजरे, पुनःसंचारी प्रणाली (आर.ए.एस.), जलाशयों में पिंजरा कृषि, शैवाल खेती, बाईवाल्व खेती, ट्राउट खेती के लिए रेसवे का निर्माण, सजावटी और मनोरंजन मात्स्यिकी, गहरा समुद्री जलयानों के अर्जन हेतु सहयोग, विद्यमान जलयानों के उन्नयन, पारम्परिक और यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के मछुआरों हेतु सुरक्षा किट प्रदान करने हेतु सहयोग, पारम्परिक मछुआरों के लिए नौकाओं और जाल प्रदान करने, पी.एफ. जैड. उपकरणों और संप्रेषण/ट्रैकिंग की खरीद हेतु सहयोग आदि शामिल है। पी.एम.एम. एस.वाई. में शीतश्रृंखला, शीत संयंत्रों, मछली खाद्य संयंत्र/मिलों के निर्माण, मछली खुदरा बाजारों, कियोस्क, मछली मूल्य संवर्धन एण्टरप्राइजेज इकाइयों का निर्माण, ई–मार्किटिंग और ई–व्यापार के लिए ई–प्लेटफार्म, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, मछुआरों और मत्स्यन जलयानों के लिए बीमा, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारम्परिक मछुआरों आदि के लिए आजीविका और पोषणीय सहयोग की परिकल्पना है।

1.6 मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिनांक 24 जून, 2020 को पी.एम.एम.एस.वाई. के विस्तृत प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं और जिसे विभाग और एन.एफ.डी.बी. बैवसाइट (i) www.dof.gov.in और (ii) www.nfdb.gov.in पर अपलोड किया गया है।

2. पी.एम.एम.एस.वाई. की संरचना और घटक

2.1 पी.एम.एम.एस.वाई. निम्नलिखित दो अलग–अलग घटकों के साथ एक छत्र स्कीम है:

(क) केंद्रीय सैक्टर योजना (सी.एस.)

(ख) केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)

2.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) घटक पुन: निम्नलिखित 3 विस्तृत शीर्षों के तहत गैर–लाभार्थिस्मुख और लाभार्थीन्मुख उपघटकों/गतिविधियों में विभाजित है जो इस प्रकार है:

(i) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

(ii) अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन

(iii) मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा

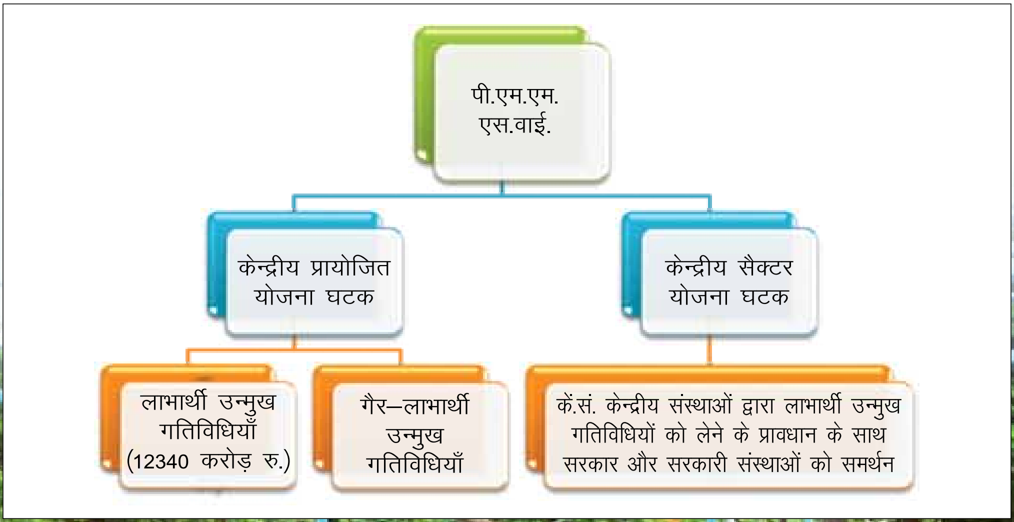

3. अभिप्राय और उद्देश्य

3.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) का अभिप्राय और उद्देश्य इस प्रकार है:

(क) एक धारणीय, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मात्स्यिकी की क्षमता का दोहन

(ख) भूमि और पानी के उत्पादक उपयोग, विस्तार, गहनता और विविधीकरण के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

(ग) मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण – पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार

(घ) मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगना करना और रोजगार सृजन।

(ङ) कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) और निर्यात में योगदान को बढ़ाना

(च) मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा

(छ) मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा

4. लाभार्थी

4.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थी हैं:

(i) मछुआरे

(ii) मछली किसान

(iii) मछली श्रमिक और मछली विक्रेता

(iv) मत्स्य विकास निगम

(v) मत्स्यपालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)/संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)

(vi) मत्स्य सहकारी समितियाँ

(vii) मत्स्य फेडेरेशन/महासंघ

(viii) उद्यमी और निजी फर्म

(ix) मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियाँ (एफ.एफ.पी.ओ./सी.एस.)

(x) एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग जन

(xi) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी इकाइयाँ जिनमें शामिल हैं

(xii) राज्य मत्स्य विकास बोर्ड (एस.एफ.डी.बी.)

(xiii) केंद्र सरकार और उसकी इकाइयाँ

5. निधियन पद्धति (फंडिंग पैटर्न)

5.1 केंद्रीय सैक्टर योजना (सी.एस.)

(क) पूरी परियोजना/इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी (यानी 100% केंद्रीय निधियन)

(ख) जहाँ भी प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/समूह गतिविधियाँ केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा की जाती हैं, जिनमें राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) शामिल हैं, केंद्रीय सहायता सामान्य श्रेणी के लिए इकाई/परियोजना लागत का 40% तक होगी और अनु.जाति/अनु.जनजाति/महिला वर्ग के लिए 60% तक होगी।

5.2 केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.)

5.2.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सी.एस.एस. घटक के तहत **गैर–लाभार्थी–उन्मुख** उप–घटकों/गतिविधियों के लिए, संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत केंद्र और राज्य के बीच निम्नानुसार साझा किया जाएगा:–

(क) उत्तर–पूर्वी और हिमालयी राज्यों के बीच : 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य का हिस्सा

(ख) अन्य राज्यों में: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा

(ग) संघ राज्य क्षेत्र (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100% केंद्रीय हिस्सा

5.2.2 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सी.एस.एस. घटक के तहत **लाभार्थी उन्मुख अर्थात् एकल/समूह गतिविधियों उपघटकों/गतिविधियों** के लिए केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार दोनों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता सामान्य श्रेणी वर्ग के लिए परियोजना/इकाई लागत का 40% और अनु.जाति/अनु.ज.जाति/महिला वर्ग के लिए परियोजना/इकाई लागत का 60% तक होगा। इसके साथ केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सरकारी वित्तीय सहायता का हिस्सा निम्न अनुपात में होगा:

क) उत्तर–पूर्वी और हिमालयी राज्यों में: 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य का हिस्सा होगा

ख) अन्य राज्यों में: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा

ग) संघ राज्य क्षेत्र (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100% केंद्रीय हिस्सा (संघ राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा नहीं)

5.3 निधियन पद्धति और सरकारी वित्तीय सहायता को ख़ाके के रूप में आगमी अनुच्छेदों में उदाहरण से स्पष्ट किया गया है।

5.4 उदाहरण के उद्देश्य से नीचे दिये गये परियोजना लागत/इकाई लागत को 10 लाख/इकाई के रूप में माना गया है।

5.4.1 पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) घटक

(क) सी.एस.एस. (गैर लाभार्थीउन्मुख गतिविधियों) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित प्रत्यक्ष परियोजनाएं।

(ख) सी.एस.एस. के तहत सामान्य राज्य– लाभार्थीन्मुख गतिविधियां

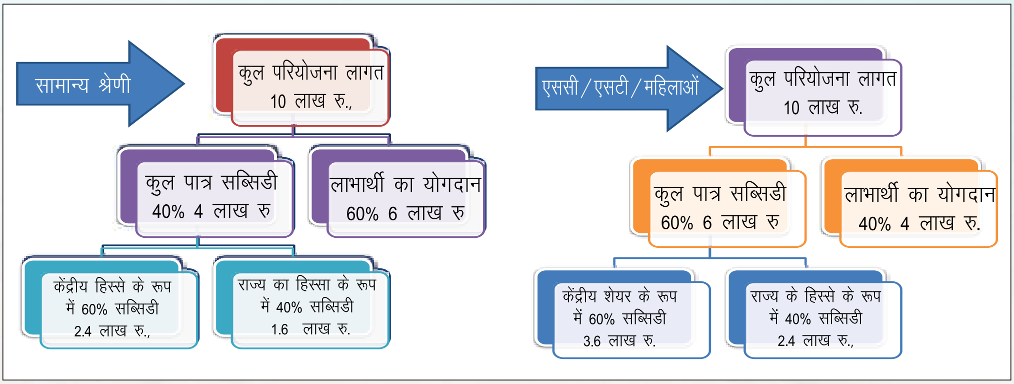

(ग) सी.एस.एस. के तहत उत्तर पूर्वी और हिमालयीन राज्यों की लाभार्थीन्मुख गतिविधियां

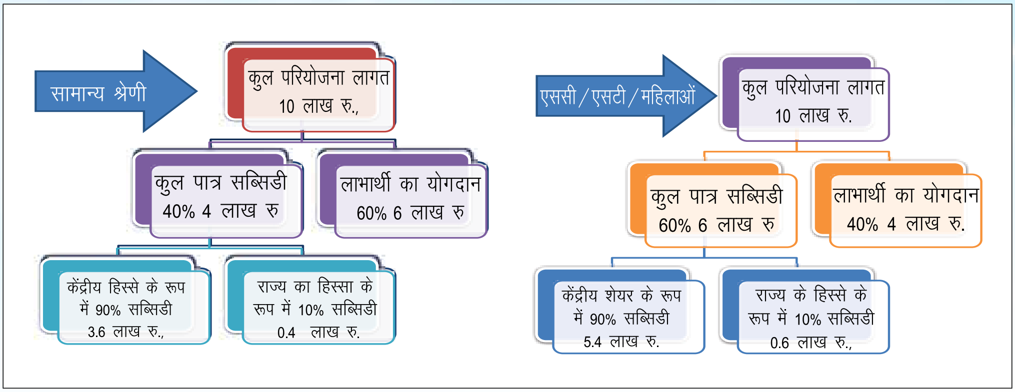

(घ) सी.एस.एस. के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र की लाभार्थीन्मुख गतिविधियां

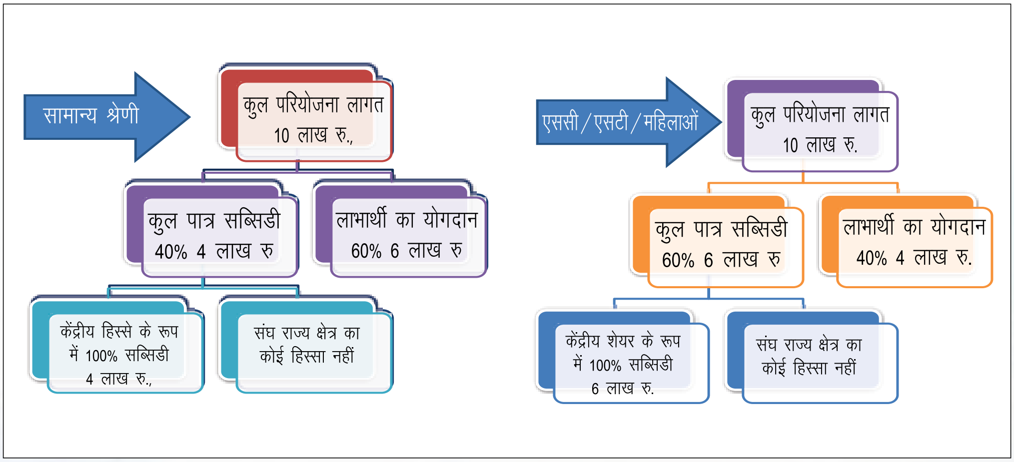

5.4.2 पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय सैक्टर स्कीम (सी.एस.)

(क) सी.एस. के अन्तर्गत लाभार्थीन्मुख गतिविधियां

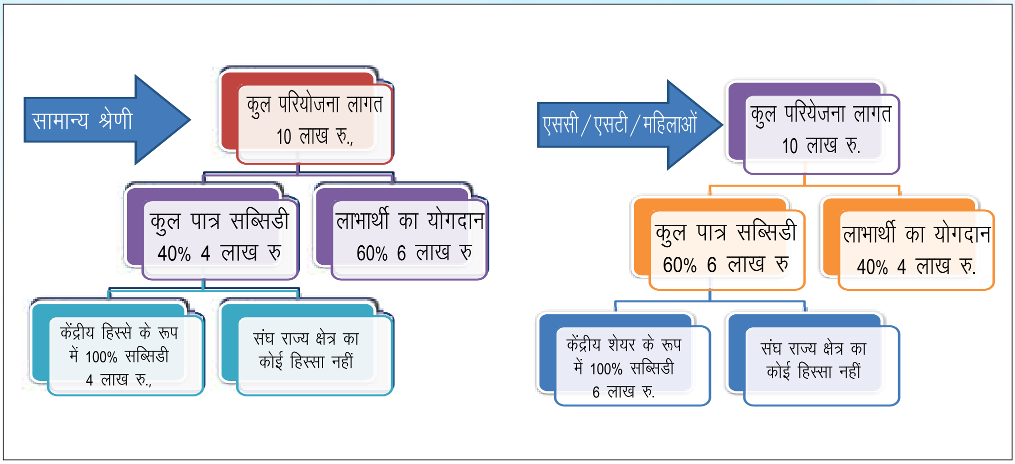

6. गतिविधियों की सूची

6.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्रीय सैक्टर स्कीम घटक और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम घटक दोनों के उपघटक/गतिविधियों का ब्यौरा उनकी विस्तृत गतिविधियों सहित पी.एम.एम.एस.वाई. के जारी परिचालन दिशानिर्देशों में प्रस्तुत किया गया है:–

6.2 तथापि रेडी–रेकनर के लाभ के लिए पी.एम.एम.एस.वाई. के **केन्द्रीय प्रायोजित** स्कीम घटक के तहत लाभार्थीन्मुख उप–घटकों और गतिविधियों का ब्यौरा उनके उपघटक/गतिविधिवार इकाई लागत, सरकारी सहायता सहित आगे सारणी में दिया गया है:

सारणीः पी.एम.एम.एस.वाई. की केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक के तहत लाभार्थीउन्मुख उप-घटक और गतिविधियाँ

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
क	उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि				
	अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि का विकास				
1	मीठे जल के नए झींगा हैचरीज़ की स्थापना	सं.	25.00	10.00	15.00
2	नए मीठे जल स्कैंपी हैचरी की स्थापना	सं.	50-00	20-00	30-00
3	नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण	हे.	7.00	2.80	4.20
4	नए ग्रो–आउट तालाबों का निर्माण	हे.	7.00	2.80	4.20
5	मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश जिनमें कम्पोजिट मछली कल्चर, स्कैम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि शामिल हैं।	हे.	4.00	1.60	2.40
6	आवश्यकता आधारित नये ब्रैकिश हैचरीज (शेल फिश और फिन फिश) की स्थापना	सं.	50.00	20.00	30.00
7	ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के लिए नए तालाबों का निर्माण यदि विनिर्देशों के अनुसार पॉलिथीन अस्तर प्रदान किया जाता है, तो लाभार्थियों (सामान्य/एस.सी. /एस.टी./महिला) को प्रति हेक्टेयर 2 लाख रू. तक की अतिरिक्त सरकारी सहायता। प्रदान की जा सकती हैं। 2 लाख रुपये तक की यह राशि केंद्र और राज्य के बीच पी.एम.एम.एस.वाई. के सी.एस.एस. घटक के तहत निधियन पद्धति के अनुसार साझा की जाएगी।	हे.	8.00	3.20	4.80

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
8	लवणीय/क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण यदि विनिर्देशों के अनुसार पॉलिथीन अस्तर प्रदान किया जाता है, तो लाभार्थियों (सामान्य/एस.सी. /एस.टी./महिला) को प्रति हेक्टेयर 2 लाख रू. तक की अतिरिक्त सरकारी सहायता। प्रदान की जा सकती हैं। 2 लाख रुपये तक की इस राशि को राज्य और केंद्र के बीच पी.एम.एम.एस. वाई. के सी.एस.एस. घटक के तहत फंडिंग पैटर्न के अनुसार साझा किया जाएगा।	हे.	8.00	3.20	4.80
9	खारे जल जलकृषि के लिए इनपुट	हे.	6.00	2.40	3.60
10	लवणीय/क्षारीय जल जलकृषि के लिए इनपुट	हे.	6.00	2.40	3.60
11	इनपुट सहित ब्रैकिश जल/लवणीय/क्षारीय क्षेत्रों के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण	हे.	18	7.20	10.80
12	मीठे जल वाले क्षेत्रों के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल हैं	हे.	14.00	5.60	8.40
13	जलाशयों में फिंगरलिंग का स्टॉक @ 1000एफ. एल/हेक्टेयर (3.0 लाख/1 लाख एफ.एल.)	हे.	3 रु./ फिंगरलिंग	12 रु./ फिंगरलिंग	18 रु./ फिंगरलिंग
14	वेटलैंड्स फिंगरलिंग का स्टॉक @ 1000 एफ. एल/हेक्टेयर (3.0 लाख /1 लाख एफएल)	हे.	3 रु./ फिंगरलिंग	12 रु./ फिंगरलिंग	18 रु./ फिंगरलिंग
	समुद्री मत्स्यपालन और समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री मात्स्यिकी का विकास				
15	छोटे समुद्री फिनफिश हैचरी की स्थापना	सं.	50.00	20.00	30.00
16	बड़े समुद्री फिनफिश हैचरी का निर्माण	सं.	250.00	100.00	150.00
17	समुद्री फिनफिश नर्सरी	सं.	15.00	6.00	9.00
18	खुले समुद्री पिंजरों की स्थापना (100–120 घन मीटर मात्रा)	सं.	5.00	2.00	3.00

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
19	इनपुट्स (प्रति राफ्ट) सहित समुद्री शैवाल कृषि राफ्ट्स की स्थापना।	सं.	0.015	0.006	0.009
20	इनपुट सहित मोनोलीन / ट्यूबनेट विधि के साथ समुद्री शैवाल कल्चर की स्थापना (एक इकाई लगभग 25 मीटर लंबाई के 15 रस्सियों के बराबर)	सं.	0.08	0.03	0.05
21	वाईवाल्व खेती (सीपी, क्लैम, मोती आदि)	सं.	0.20	0.08	0.12
	उत्तर–पूर्वी और हिमालयी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में मत्स्यपालन का विकास (नीचे की गतिविधियों के अलावा, उत्तर–पूर्वी और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत परिकल्पित अन्य उप–घटकों/गतिविधियों के तहत भी सहायता दी जाएगी जो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सामान्य हैं)।				
22	ट्राउट मछली हैचरी की स्थापना	सं.	50.00	20.00	30.00
23	रेसवे का निर्माण न्यूनतम 50 क्यूवक मीटर	सं.	3.00	1.20	1.80
24	ट्राउट पालन इकाइयों के लिए इनपुट	सं.	2.50	1.00	1.50
25	नए तालाबों का निर्माण	हे.	8.40	3.36	5.04
26	शीत जल मत्स्यपालन के लिए मध्यम आर.ए.एस. की स्थापना। (न्यूनतम 50 घन मीटर क्षमता के 4 टैंक और 4 टन/फसल की टैंक मछली उत्पादन क्षमता)	सं.	20.00	8.00	12.00
27	शीत जल की मछली पालन के लिए बड़े आर.ए.एस. की स्थापना (न्यूनतम 50 क्यूविक मीटर / टैंक क्षमता और 10 टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)	सं.	50.00	20.00	30.00
28	एकीकृत मछली पालन के लिए इनपुट कोस्ट (धान सह मछली की खेती, पशुधन सह मछली, आदि)।	हे.	1.00	0.40	0.60
29	शीत जल के क्षेत्रों में पिंजरों की स्थापना।	सं.	5.00	2.00	3.00

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. / एस.टी. / महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
	सजावटी और मनोरंजक मत्स्यपालन का विकास				
30	बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई (दोनों, समुद्री और ताजा जल)	सं.	3.00	1.20	1.80
31	मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई (समुद्री और मीठे जल की मछली)	सं.	8.00	3.20	4.80
32	एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजा जल की मछली के लिए प्रजनन और पालन)	सं.	25.00	10.00	15.00
33	एकीकृत सजावटी मछली इकाई (समुद्री मछली के लिए प्रजनन और पालन)	सं.	30.00	12.00	18.00
34	ताजे जल सजावटी मछली ब्रूड बैंक की स्थापना।	सं.	100.00	40.00	60.00
35	मनोरंजक मत्स्यपालन को बढ़ावा देना।	सं.	50.00	20.00	30.00
	प्रौद्योगिकी आसव और अनुकूलन				
36	बड़े आर.ए.एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूव/ टैंक क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)/बायोफ्लो कल्चर सिस्टम (4 मी ब्यास और 1.5 ऊँचाई के 50 टैंक)।	सं.	50.00	20.00	30.00
37	मध्यम आर.ए.एस. की स्थापना (10 टन/ फसल की मछली उत्पादन क्षमता के साथ न्यूनतम 30 मीटर क्यूव /टैंक क्षमता के 6 टैंक के साथ)/ बायोफ्लो कल्चर सिस्टम (4 मी ब्यास और 1. मी ऊँचाई के 25 टैंक)	सं.	25.00	10.00	15.00
38	छोटे आर.ए.एस. की स्थापना (100 मीटर क्षमता के 1 टैंक के साथ/बायोफ्लोक (4 मीटर व्यास के 7 टैंक और 1.5 ऊचाई) – कल्चर प्रणाली	सं.	7.50	3.00	4.50
39	बैकयार्ड मिनी आर.ए.एस. इकाइयों की स्थापना	सं.	0.50	0.20	0.30
40	जलाशयों में पिंजरों की स्थापना	सं.	3.00	1.20	1.80
41	खुले जल निकायों में पेन कल्चर	हे.	3.00	1.20	1.80

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
ख	बुनियादी ढ़ांचा और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन				
	पोस्ट हार्वेस्ट और शीत श्रृंखला के आधारभूत ढांचे				
42	शीत भंडार का निर्माण / आइस प्लांट				
(a)	न्यूनतम 10 टन क्षमता का संयंत्र/भंडारण	सं.	40.00	16.00	24.00
(b)	न्यूनतम 20 टन क्षमता का संयंत्र/भंडारण	सं.	80.00	32.00	48.00
(c)	न्यूनतम 30 टन क्षमता का संयंत्र/भंडारण	सं.	120.00	48.00	72.00
(d)	न्यूनतम 50 टन क्षमता का प्लांट	सं.	150.00	60.00	90.00
43	कोल्ड स्टोरेज / आइस प्लांट का आधुनिकीकरण	सं.	50.00	20.00	30.00
44	प्रशीतित वाहन	सं.	25.00	10.00	15.00
45	इनसुलेटेड वाहन	सं.	20.00	8.00	12.00
46	आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल	सं.	0.75	0.30	0.45
47	आइस बॉक्स के साथ साइकिल	सं.	0.10	0.04	0.06

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी. / महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
48	मछली वेंडिंग के लिए ई–रिक्शा सहित आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर	सं.	3.00	1.20	1.80
49	सजीव मछली वेंडिग केंद्र	सं.	20.00	8.00	12.00
50	मछली चारा मिल्स				
(a)	2 टन/दिन की उत्पादन क्षमता की मिनी मिल्स	सं.	30.00	12.00	18.00
(b)	8 टन/दिन की उत्पादन क्षमता का मीडियम मिल्स	सं.	100.00	40.00	60.00
(c)	20 टन/दिनी की उत्पादन क्षाता का बड़ा मिल्स	सं.	200.00	80.00	120.00
(d)	मछली फ़ीड उत्पादन की कम से कम 100 टन/दिन की उत्पादन क्षमता।	सं.	650.00	260.00	390.00
	बाजार और विपणन संरचना				
51	सजावटी मछली/एक्वैरियम बाजार सहित मछली खुदरा बाजारों का निर्माण।	सं.	100.00	40.00	60.00
52	एक्वेरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क का निर्माण	सं.	10.00	4.00	6.00

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी./ महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
53	मछली मूल्य संवर्धन उद्यम इकाइयाँ	सं.	50.00	20.00	30.00
54	मछली और मत्स्य उत्पादों के ई–ट्रेडिंग और ई–मार्केटिंग के लिए ई–प्लेटफॉर्म	सं.			
	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास				
55	पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के अधिग्रहण के लिए समर्थन	सं.	120.00	48.00	72.00
56	निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा मछली पकड़ने के जहाजों का उन्नयन	सं.	15.00	6.00	9.00
57	मशीनीकृत मछली पकड़ने के जहाजों में जैव–शौचालयों की स्थापना	सं.	0.50	0.20	0.30
	जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन	सं.			
58	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	सं.	25.00	10.00	15.00
59	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण मोबाइल लैब/क्लीनिक	सं.	35.00	14.00	21.00

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी. / महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
ग	**मात्स्यिकी का प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क**				
	निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एम.सी.एस.)				
60	पारंपरिक और मोटर चालित जहाजों को वी.एच.एफ./डी.ए.टी./एन.ए.वी.आई.सी. / ट्रांसपोंडर आदि संचार/या ट्रैकिंग डिवाइस।	सं.	0.35	0.14	0.21
	मछुआरों की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना				
61	पारंपरिक और मोटर चालित मछली पकड़ने के जहाजों के मछुआरों के लिए सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सहायता (60 में उल्लिखित संचार और/या ट्रैकिंग डिवाइस के अलावा)	सं.	1.00	0.40	0.60
62	पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराना	सं.	5.00	2.00	3.00
63	पीएफजेड उपकरणों और नेटवर्क के लिए मछुआरों को सहायता जिसमें स्थापना और रखरखाव आदि की लागत शामिल है।	सं.	0.11	0.044	0.066

क्रम सं.	उप–घटक और गतिविधियाँ	इकाई	इकाई मूल्य (लाख रु में)	सरकारी सहायता (लाख रु. में)	
				सामान्य (40%)	एस.सी. /एस.टी. / महिलाएं (60%)
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)
	मात्स्यिकी विस्तार और समर्थन सेवाएं				
64	एक्सटेंशन और समर्थन सेवाएँ।	सं.	25.00	10.00	15.00
65	सागर मित्र		सागर मित्रा को प्रोत्साहन केंद्र और राज्यों के बीच पी.एम.एम.एस.वाई. के वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार साझा किया जाएगा।		
	मछली पकड़ने के जहाजों और मछुआरों का बीमा				
66	मछली पकड़ने वाले जहाजों का बीमा	सं.	प्रीमियम सबवेंशन। प्रीमियम राशि को पी. एम.एम.एस.वाई. के फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र, राज्यों और लाभार्थियों के बीच साझा किया जाएगा		
67	मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों और किसी भी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को बीमा सीधे मछली पकड़ने और मत्स्यपालन संबंधित गतिविधियों में शामिल किया गया है।	सं.	पी.एम.एम.एस.वाई. के फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच पूरी प्रीमियम वित्त पोषण साझा किया जाएगा		
	मत्स्य संसाधन के संरक्षण हेतु मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता				
68	मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता।	सं.	नीचे दी गई तालिका में विवरण		

नं.. – नम्बर,
हे. – हेक्टेयर

सारणीः आजीविका और पोषण संबंधी सहयोग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियन पद्धति	योगदान
केन्द्रीय हिस्सा	(i) 50:50 केंद्र और सामान्य राज्य	केंद्र का हिस्सा 1500 रुपये + राज्य का हिस्सा 1500 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500 रुपये= 4500 रुपये/– वार्षिक
उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य	(i) 80:20 केंद्र और पूर्वोत्तर और हिमालयीन राज्य	केंद्र का हिस्सा 2400 रुपये + राज्य का हिस्सा 600 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500रुपये = 4500 रुपये/– वार्षिक
संघ राज्य क्षेत्र	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना)	केंद्र का हिस्सा 3000 रुपये + लाभार्थी का हिस्सा 1500 रुपये = 4500 रुपये/– वार्षिक

7. प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

7.1 पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय क्षेत्र योजना घटक

7.1.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सियां जैसी अन्तिम कार्यान्वयन एजेन्सियां तीन प्रतियों में डी.पी.आर./स्वतः निहित प्रस्ताव (एस.सी.पी.) प्रस्तुत करेंगे। इसमें दो प्रतियों को सीधे एन.एफ.डी.बी. को भेजा जाएगा और एक अग्रिम प्रति मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार को जाएगी।

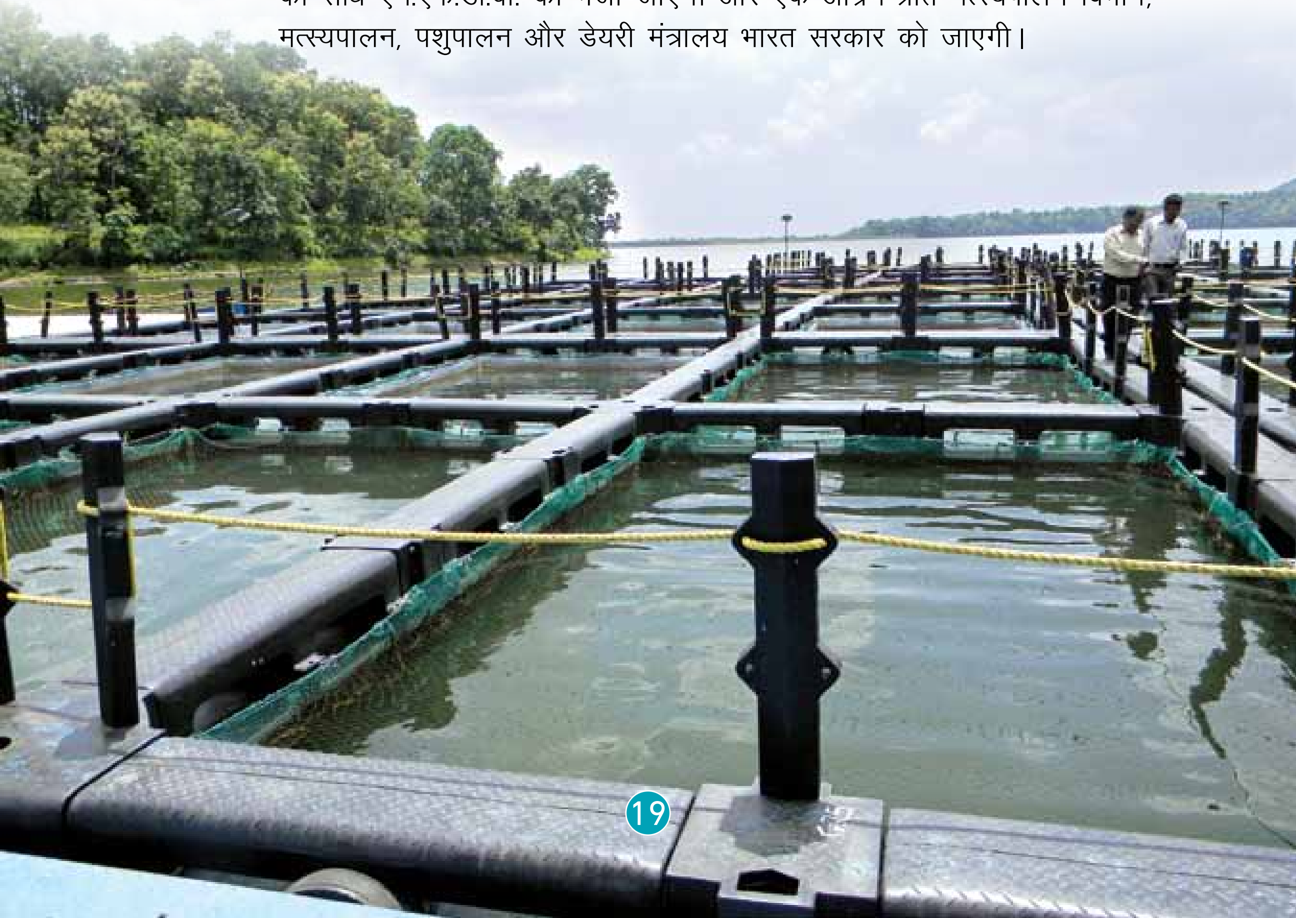

7.1.2 एन.एफ.डी.बी. को भेजी जाने वाली दो प्रतियों में डी.पी.आर./स्वतः निहित प्रस्ताव को निम्न पते पर भेजा जाएगाः

मुख्य कार्यपालन,
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड,
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार,
पिलर नं.: 235, पी.वी.एन.आर. एक्सप्रैसवे, एस.वी.पी.एन.पी.ए. पोस्ट,
हैदराबाद–500052
(Fax: 040-24015568/24015552)
(E-mail: cenfdb@gmail.com/info.nfdb@nic.in)

7.1.3 डी.पी.आर/स्वतः निहित प्रस्ताव की एक प्रति मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को अग्रिम तौर पर निम्न पते पर प्रस्तुत की जाए।

सचिव
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार
कमरा न.–221, कृषि भवन,
नई दिल्ली–110001
(E-mail: secy-fisheries@gov.in)

7.2 पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय सैक्टर स्कीम घटक

7.2.1 पी.एम.एम.एस.वाई. के केन्द्रीय सैक्टर स्कीम घटक के संबंध में परियोजना प्रस्तावों को उपर्युक्त अनुच्छेद 7.1.3 में वर्णित पते पर मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को भेजा जाए।

8. संपर्क ब्यौरें

8.1 पी.एम.एम.एस.वाई. के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हित धारकों (अपेक्षित लाभार्थी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मात्स्यिकी विकास गतिविधियां चलाना चाहते हैं तो उस राज्य के संबन्धित जिला मात्स्यिकी अधिकारी से संपर्क करें।

8.2 पी.एम.एम.एस.वाई. पर और अधिक जानकारी के लिए सभी हितधारक (अभीष्ट हिताधिकारी) निम्न पते पर संपर्क करें या मत्स्यपालन विभाग की बैवसाइट www.dof.gov.in और www.nfdb.gov.in पर अपलोडिट पी.एम.एम.एस.वाई के विस्तृत प्रचालन मार्गनिर्देशों को देखें।

8.3 समुद्री मात्स्यिकी और सजावटी मात्स्यिकी से संबंधित प्रश्नों के लिए

डॉ. संजय पाण्डेय,
सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
कमरा नं. 479, कृषि भवन
नई दिल्ली 110 001
E-mail : sanjay.rpandey@gov.in

8.4 अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित प्रश्नों के लिए

श्री राकेश कुमार,
सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
कमरा नं. 490, कृषि भवन
नई दिल्ली 110 001
E-mail : rakesh.kr38@gov.in

8.5 मात्स्यिकी से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) द्वारा एक टोल फ्री नम्बर दिया गया है जो इस प्रकार है :

Toll free No. 1800-425-1660

नोट

नोट

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार